

नई पर्यटन नीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **बिहार कैबिनेट** ने पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचनागत समग्र समावेशी विकास एवं नविश को प्रोत्साहन के लिये **बिहार पर्यटन नीति 2023** को स्वीकृत दे दी है।

मुख्य बटु:

- इस नीति का उद्देश्य राज्य में **पर्यटन स्थलों के पास मूलभूत बुनियादी ढाँचे का विकास करने तथा** हतिधारकों के लिये प्रावधान भी शामिल है।
- **नई नीति में नविशकों के लिये कई वतितीय प्रोत्साहन शामिल हैं-**
 - 10 करोड़ रुपए तक के नविश के लिये 30% की सब्सडी।
 - 50 करोड़ रुपए तक के नविश के लिये 25%।
 - 50 करोड़ रुपए से अधिक के नविश पर 25% (अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपए)।
 - भूमि के पट्टे, बकिरी, हस्तांतरण में स्टॉप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क पर एक मुश्त 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की सुविधा।
 - 5 वर्ष तक वाणजियिक संचालन पर वस्तु और सेवा कर (GST) की 80% प्रतिपूर्ति।
 - नई पर्यटन इकाइयों के लिये 5 वर्षों तक वदियुत शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति।
 - सूचीबद्ध होटल, रसिार्ट, टूर ऑपरेटर को पर्यटक गाइडों को रोजगार प्रदान करने के लिये भी प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
 - किसी अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एजेंसी से हरति प्रामाणीकरण प्राप्त करने पर 10 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
- वाणजियिक परचालन शुरू होने पर 50 प्रतिशत, दो वर्ष पूरा होने पर 25 प्रतिशत तथा पाँच वर्ष होने पर 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
- **गया में वषिणुपद मंदिर** के पास शेड और बस डपिों के साथ वैकल्पिक पहुँच पथ के नरिमाण के लिये 62 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है।

बिहार में प्रसदिध पर्यटक स्थल: बोधगया में महाबोधिमंदिर परसिर, राजगीर में वशि्व शांति स्तूप, नालंदा, प्राचीन शहर पाटलपुत्र, पश्चमि चंपारण में **वालमकी नगर टाइगर रजिरव** आदी।